ईओयू योजना के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 24 जनवरी, 2012 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2012 सीरीज) का कार्यवृत्त

वाणिज्य सचिव श्री राहुल खुल्लर की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 24 जनवरी, 2012 को ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2012 सीरीज) हुई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है। अध्यक्ष महोदय ने बीओए के सभी सदस्यों का स्वागत किया और इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा लिया गया।

1.1(12) : 28 नवंबर, 2011 को आयोजित बीओए की छठवीं बैठक (2011 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि

बोर्ड ने डीजीईपी के प्रस्ताव के अनुसार मैसर्स जीएम टेक्निकल सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित मद संख्या 6.17(11) में संशोधन के साथ छठवीं बैठक (2011 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि की। अनुमोदन बोर्ड ने सेवा की अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने के लिए एलओपी में संशोधन के बारे में यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की तथा यह शर्त रखी कि कार या वाणिज्यिक वाहन के किसी आयात की अनुमति नहीं होगी। इस परिवर्तन के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

1.2(12) : मैसर्स ब्राडी कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – आयातित कच्चे माल तथा निर्मित उत्पादों को नष्ट करने के लिए मंजूरी

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि अधिसूचना 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2003 के पैरा 1(3)(ख)(1)(2) के अनुसार ड्यूटी की मांग की जा सकती है यदि पूंजी माल से भिन्न माल का प्रयोग न तो निर्यात माल के विनिर्माण के लिए होता है और न ही उनके आयात के 3 साल के अंदर घरेलू खपत के लिए क्लीयर किया जाता है। बोर्ड ने टिप्पणी की कि विदेश व्यापार नीति का पैरा 6.14(ख) यह प्रावधान करता है कि सीमा शुल्क को सूचित करने के बाद ईओयू के अंदर आयातित कच्चे माल एवं निर्मित उत्पाद को नष्ट करने के लिए कोई ड्यूटी देय नहीं होगी। विदेश व्यापार नीति तथा इस मुद्दे पर राजस्व विभाग की अधिसूचना के विरोधाभासी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा सभी विकास आयुक्तों को इस मामले में प्रथा तथा इस संबंध में पिछले उदाहरणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

1.3(12) : मैसर्स पिलकिंगटन आटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर के प्रापण के लिए कार्योत्तर अनुमोदन हेतु अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि प्री-फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्ट्रक्चर है और यह पूंजी माल की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। तथापि, विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने कहा कि निर्मित माल के उत्पादन के लिए डस्ट फ्री परिवेश को बनाए रखने हेतु यह स्ट्रक्चर आवश्यक समझा जाता है। इसके अलावा, सूचित किया गया कि एचबीपी के पैरा 6.5.1(च) के अनुसार अनुमोदन बोर्ड ने डस्ट फ्री परिवेश को बनाए रखने तथा निर्माण के प्रयोजनार्थ अतीत में ऐसी भवन संरचनाओं के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान की है। इसलिए, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया और सभी विकास

आयुक्तों को इस मामले में पिछली प्रथा तथा इस संबंध में उदाहरणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

1.4(12) : मैसर्स जीईबीई प्राइवेट लिमिटेड – एचवी टैंक के विनिर्माण में प्रयोग के लिए रिफर्बिस्ड / रि-इंजीनियर्ड पार्ट्स और कंपोनेंट के आयात के लिए अपील

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर आस्थगन की मांग की और विकास आयुक्त से एचवी टैंकों के निर्माण से संबंधित परिकल्पित आयात / निर्यात की गतिविधियों का व्यौरा तथा सटीक प्रकृति और किसी डीटीए प्रभाव का व्यौरा भी प्रदान करने का अनुरोध किया। तदनुसार, बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

1.5(12) : मैसर्स प्रयास वूलन प्राइवेट लिमिटेड – 20 अक्टूबर, 2011 के बाद 5 साल के लिए एलओपी के विस्तार के लिए अपील

यूनिट का प्रतिनिधि बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ और अपने मामले को रखा। यूनिट ने निवेदन किया कि एलओपी का विस्तार न होने से व्यवसाय का अचानक बंद हो जाना उनके व्यवसाय के लिए बहुत ही हानिकर है और उनकी यूनिट में काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा, यूनिट ने कहा कि उनका आयात कंसाइनमेंट जेएनपीटी पर रोक दिया गया और वे एलओपी का नवीकरण न होने के कारण अपने माल का निर्यात करने में असमर्थ हैं। बोर्ड ने इस बात को नोट किया कि एचबीपी (2009-14) के परिशिष्ट - 14-1-सी के अनुसार गारमेंट / प्रयुक्त कपड़ों / गौण टेक्सटाइल सामग्रियों / क्लिपिंग / रैग / औद्योगिक वाइपर / सोडी ऊल / यार्न / कंबल / शॉल तथा अन्य पुनर्चक्रणीय टेक्सटाइल सामग्रियों की प्रोसेसिंग से संबंधित सभी गतिविधियां ईओयू योजना के तहत अनुमत नहीं होंगी।

सभी तथ्यों पर विचार करने तथा समुचित रूप से विचार-विमर्श करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आवेदक द्वारा उल्लिखित तत्काल बंदी के कारण कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ईओयू यूनिट के रूप में बाहर निकलने में यूनिट को समर्थ बनाने के लिए प्रयुक्त गारमेंट की रि-प्रोसेसिंग पर वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन 30 सितंबर, 2012 तक एलओपी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि तदुनसार प्रयुक्त कपड़ों आदि के पुनर्चक्रण की ऐसी गतिविधियों में शामिल यूनिटों के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए आगे ऐसी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इसके अनुसरण में समान व्यवसाय में शामिल अन्य ईओयू के मुद्दे के समाधान के लिए दिशानिर्देश तैयार किया जाए। अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन होगी।

1.6(12) : मैसर्स जीकेबी आरएक्स लेंस प्राइवेट लिमिटेड – विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.2(1) के अनुसार एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत तक व्यापार के लिए अनुमति प्रदान करना

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.2(1) के अनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

****

भाग-2

अनुमोदन बोर्ड ने 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्तों / यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित अनुमोदनों की पुष्टि की

(क)	नवंबर और दिसंबर, 2011 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	सीएसईजेड
(ख)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एफएएसईजेड
(ग)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	आईएसईजेड
(घ)	अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 2011 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	केएएसईजेड
(ङ)	अक्टूबर और नवंबर, 2011 के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(च)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एनएसईजेड
(छ)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एसईईपीजेड
(ज)	नवंबर और दिसंबर, 2011 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड

पुराने मामले

(क)	1997 से 2001 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन जनवरी, 2005 से मार्च, 2005 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	केएएसईजेड
(ख)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन निम्नानुसार है : 21 मार्च, 2000 से 20 फरवरी, 2002 की अवधि के दौरान 11 एलओपी जारी किए गए 26 अप्रैल, 2004 से 25 जून, 2004 की अवधि के दौरान 16 एलओपी जारी किए गए 1 जनवरी, 2005 से 8 फरवरी, 2005 की अवधि के दौरान 8 एलओपी जारी किए गए 1 अप्रैल, 2005 से 15 मई, 2005 की अवधि के दौरान 9 एलओपी जारी किए गए 27 सितंबर, 2005 से 8 नवंबर, 2005 की अवधि के दौरान 5 एलओपी जारी किए गए 1 मार्च, 2007 से 30 जून, 2007 की अवधि के दौरान 18 एलओपी जारी किए गए	वीएसईजेड
(ग)	जून, 2009 से नवंबर, 2011 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन (31 एलओपी)	एनएसईजेड
(घ)	मैसर्स जेनुस्फीयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन दिनांक 27 अप्रैल, 2005	फाल्टा एसईजेड

प्रतिभागियों की सूची

1	**श्री राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव**	**अध्यक्ष**
2	**श्री मधुसूदन प्रसाद, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग**	
3	**डा. अनूप वधावन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग**	
4	**श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग**	**सदस्य सचिव**
5	**श्री वाई एस सहरावत, अपर महानिदेशक (डीजीईपी), राजस्व विभाग**	
6	**डा. वेद प्रकाश, विकास आयुक्त, एसइईपीजेड – एसईजेड**	
7	**श्री एम एस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड**	
8	**श्री प्रवीर कुमार, विकास आयुक्त, केएएसईजेड**	
9	**श्री ए के राठौर, विकास आयुक्त, एसईजेड**	
10	**श्री रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग**	
11	**श्री मनोज कुमार अरोड़ा, डीजीईपी, सीबीईसी, राजस्व विभाग**	
12	**डा. एल बी सिंघल, संयुक्त डीजीएफटी, डीजीएफटी**	
13	**डा. सरोज, निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**	
14	**श्री जी मुथुराजा, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग**	
15	**श्री एम एस तेवतिया, विकास आयुक्त का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय**	
16	**श्री ओ पी कपूर, उप डीजीएफटी, ईपीसीईएस**	

***